न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 66/2021

GCMS No-2021/202

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. देवीलाल पुत्र श्री बाबुलाल गरासिया बस स्टेण्ड के पास भीमाणा तह.बाली जिला पाली 2. भूपेन्द्र पुत्र श्री रामचरण गोयल मैसर्स– मधुर ट्रेडर्स नगरपालिका रोड़ सुमेरपुर 3. पारस दास जैन पुत्र श्री लखमीचन्द जैन मैसर्स– जयकुमार महाबीर प्रसाद 1ए, कृषि मण्डी, किला परीक्षितगढ़, मेरठ (यू.पी.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली।
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री दिलीपसिंह खंगारोत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 29.06.2019 को पुलिस थाना नाणा से मिली सूचना पर वहां पहूंचा जहां पर वाहन संख्या आर.जे.22 जीबी 1817 को मिलावटी गुड़ ले जाने के संदेह पर रोका गया था। वहां पर वाहन चालक मालिक अप्रार्थी देवीलाल उपस्थित था जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी देवीलाल ने मालिक (विक्रेता) होना बताया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में इनके वाहन आर.जे.22 जीबी 1817 का निरीक्षण करने पर पाया कि 20 पैकेट में गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) है। वाहन चालक मालिक ने गुड़ आमजन को बिक्री के लिए रखा होना बताया जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र

5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर रखे हुए गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) के एक पैकेट को खोलकर एक किलो गुड़ वास्ते जाचं हेतु क्रय कर उसकी कीमत 40/–रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) को विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार डिब्बो में अलग अलग 250–250 ग्राम लेकर नमूना पैकेट तैयार करके प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–946 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर मैसर्स मधुर ट्रेडर्स नगरपालिका रोड़ सुमेरपुर के बिल क्रमांक जीएसटी–6147 दिनांक 28.6.2019 की प्रति पेश की जो संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 से लिये गये नमूने को मेरे स्वयं के द्वारा दिनांक 1.7.2019 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/519/एक्ट/2019/575 दिनांक 17.7.2019 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिये गये गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) का नमुना क्रमांक आर–946 Sub-standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Sub-standard गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता नही है और न ही उसने माल का भण्डारण किया है। अप्रार्थी सख्या 1 वाहन मालिक है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त माल अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म से क्रय किया एवं उसी खरीदशुदा माल को विक्रय किया है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा गुड़ का उत्पादन नही किया जाता है और न ही कोई विनिर्माण एवं भण्डारण नही किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को समाप्त फरमावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के वाहन से से नमुना क्रमांक आर–946 गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.6.20198 को अप्रार्थी संख्या 1 के वाहन से गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एलएस/519/एक्ट/2019/575 दिनांक 17.7.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–946 को अवमानक (Sub Standard) माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ गुड़ ओम छाप (जयकुमार महाबीर प्रसाद) अवमानक स्तर (Sub standard) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 10000/– रूपये, अप्रार्थी संख्या 2 पर 15000/– रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर 20000/– रूपये कुल 45000/– पैंतालिस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली